

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 13/2013 क्लेम

संस्थित दिनांक 16-08-2013

उमेश प्रजापति पुत्र श्रीकृष्ण प्रजापति, उम्र 25 वर्ष, निवासी- ग्राम अचलपुरा, पुलिस थाना लहार जिला भिण्ड म०प्र०

आवेदक

बनाम

1. श्रीमती शीला बरसेना पत्नी श्री अवधेश बरसेना, निवासी- बी-736, आनंद नगर, बहोडापुर, लश्कर ग्वालियर (म०प्र०)।
2. दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा मण्डल प्रबंधक, मण्डल कार्यालय एल.आई.सी. भवन सिटी सेंटर ग्वालियर म०प्र०
3. बाबूराम मिश्रा पुत्र श्रीराम मिश्रा, निवासी ट्रांसपोर्ट नगर 33/के२ टी.पी. नगर कानपुर उ०प्र०, हाल निवासी- पुलिस थाने के सामने फूप जिला भिण्ड म०प्र०

वाहन चालक

अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता

अनावेदक कं० 1 द्वारा श्री के०के०शुक्ला

अनावेदक कं० 2 द्वारा श्री आर.के.वाजपेई अधिवक्ता।

अनावेदक कं० 3 पूर्व से एक पक्षीय।

// अधि-निर्णय //

// आज दिनांक 23-07-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदक उमेश प्रजापति की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 166 सहपठित धारा 140 संशोधित मोटरयान अधिनियम 1988 का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आवेदक ने फिगो कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 के स्वामी चालक एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध मोटरयान दुर्घटना से आई हुई गंभीर उपहति की क्षतिपूर्ति हेतु 23,50,000/- रूपए एवं व्याज दिलाए जाने बावत् क्लेम आवेदनपत्र पेश किया है।

02. यह अविवादित है कि प्रश्नाधीन वाहन कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 का अनावेदक क्रमांक 1 स्वामी था एवं उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी में बीमित था।

03. आवेदक का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 26.02.2013 को आवेदक अनिल शर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव अचलनपुर से ग्वालियर के लिए आ रहा था। आवेदक जैसे ही भिण्ड ग्वालियर रोड मालनपुर से पहले पाना पुलिया के पास पहुँचे उसी समय ग्वालियर की तरफ से आ रही फिगो कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 का चालक कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और रॉंग साइड में जाकर सामने से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे एवं अनिल शर्मा को गंभीर चोटें आई एवं आवेदक को दोनों पैर व दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया तथा गुप्तांगों में गहरा घाव हो गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में विनोद शर्मा के द्वारा की गई जिस पर से अप0कं0 43/2013 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना धारा 338, 304ए भा0दं0वि0 का इजाफा किया गया। अनावेदक क्रमांक 3 के विरुद्ध पेश किया गया है।

04. आवेदक ने आवेदनपत्र में आगे यह भी बताया है कि उपरोक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई चोटों का इलाज हेतु सर्वप्रथम पुलिस द्वारा उसे बिरला हॉस्पिटल ले जा गया जहाँ प्रार्थी को इन्डोरपेसेंट के रूप में भर्ती कर लिया। आवेदक को दोनों हाथ व दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर होने से ऑपरेशन कर रॉड डाली गई। प्रार्थी बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में दिनांक 26.02.2013 से 11.03.2013 तक भर्ती रहा था। आवेदक को आई हुई चोटों के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया है एवं कार्य करने में अक्षम हो गया है। दुर्घटना के समय वह 25 वर्षीय हृष्टपुष्ट नवयुवक था। आवेदक मै. बसेडिया मोटर्स के यहाँ मैकेनिकल का कार्य कर 10,000/- रूपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था जिससे वह बंचित हो गया है। आवेदक

को दुर्घटना में आई हुई चोटों के इलाज पर करीब 3,00,000/- रूपए एवं पोष्टिक आहार पर खर्च रूपए 50,000/- एवं इलाज के दौरान देख रेख के लिए रहे अटेण्डर पर हुए खर्चा एवं एम.व्ही.एक्ट की धारा 140 के अंतर्गत आवेदक अनावेदकगण से प्रकरण की प्रथम सभेज पर अंतरिम भरण पोषण हेतु 25,000/- रूपए एवं आवेदक की मानसिक व शारीरिक वेदना की आर्थिक क्षति 10,00,000/-रूपए एवं भविष्य में होने वाली क्षति के रूप में 10,00,000/- रूपए इस प्रकार कुल 23,50,000/- रूपए उपरोक्त दुर्घटना में जो कि अनावेदक कं03 के द्वारा अनावेदक कं01 के वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित हुयी है जो कि अनावेदक कं02 बीमा कंपनी के यहां बीमित है। अनावेदकगण से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

05. अनावेदक कं0 1 ने अपने जवाब में स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथन को इन्कार करते हुए उक्त दुर्घटना फिगो कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 के चालक अनावेदक कं03 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित नहीं हुयी है और उक्त वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी घटित नहीं हुयी है उनके वाहन के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गयी है। ऐसी दशा में आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

06. अनावेदक क्रमांक-2 बीमा कंपनी ने भी आपने जवाब में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथनों को अस्वीकार करते हुए यह बताया है कि प्रश्नाधीन वाहन फिगो कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 से कोई दुर्घटना घटना दिनांक को नहीं हुई है। उक्त वाहन को षड्यंत्र पूर्वक बाद में फंसाया गया है। प्रश्नाधीन वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था इस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत वाहन चलाया जा रहा था इस कारण बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं है। आहत को कोई स्थाई अपंगता भी नहीं आई है और न ही इस संबंध में कोई प्रमाणपत्र भी पेश किया गया है। आवेदक के द्वारा मैकेनिक आदि का काम नहीं किया जाता था और उसकी कोई आय नहीं थी। उक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की उपेक्षा व लापरवाही से घटित हुई है। उपरोक्त वाहन का प्रयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत यात्री ढोने में किया गया है, इसलिए बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है एवं दुर्घटना की कोई जानकारी भी वाहन मालिक व चालक के द्वारा कम्पनी को नहीं दी गई है जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लेखन होने से अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की

रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 26.02.2013 को भिण्ड ग्वालियर राड मालनपुर से पहले पाना पुलिया के पास अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व के वाहन फिगो कार क्रमांक एम. पी. 07 सी.बी. 4464 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की?	
2	क्या उक्त दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक को स्थाई अशक्कता कारित हुई?	
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
4	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हाँ? तो किस से एवं कितना कितना?	
5	सहायता एवं व्यय?	

//निष्कर्ष के आधार//**बिन्दु क्रमांक- 01 :-**

08. घटना के संबंध में घटना का आहत उमेश प्रजापति आवेदक साक्षी क्रमांक 1 ने अपने शपथपत्र साक्ष्य कथन का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 26.02.2013 को वह मोटरसाइकिल में बैठकर अपने गांव अचलपुरा से ग्वालियर के लिए आ रहा था। मोटरसाइकिल को अनिल अपने बाएं पर सड़क के किनारे धीरे धीरे चला रहा था। जैसे ही उनकी मोटरसाइकिल पाना पुलिया के पास पहुँची उसी समय ग्वालियर तरफ से फीगो कार क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 के चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और रोंग साइड में आकर सामने से टक्कर मार दी जिससे उसे व अनिल शर्मा को चोटें आईं। आवेदक के अनुसार उसे दोनों पैर व दोनों हाथों में फ्रेक्चर हो गया और गुप्तांग में कहरा घाव हो गया और शरीर के अन्य भागों में भी गंभीर चोटें आई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट विनोद शर्मा के द्वारा थाना गोहद चौराहा में की गई, उसका इलाज बिरला हॉस्पिटल में कराया गया जहाँ कि वह भर्ती भी रहा।

09. उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी बताया है कि दुर्घटना के तुरन्त बाद वह वेहोश नहीं हुआ था। कार से जब टक्कर लगी तभी उसने कार को देखा था। उसने दुर्घटना के समय कार का नम्बर देख लिया था। दुर्घटना कारित करने वाली कार का नम्बर एम.पी. 07 सी.बी. 4464 था। साक्षी इस सुझाव से इन्कार किया है कि कार से कोई दुर्घटना नहीं हुई और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि कार का नम्बर वह देख नहीं पाया था। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत दुर्घटना घटित होना जो कि प्रश्नाधीन वाहन फीगो कार के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से वालन को चलाते हुए दुर्घटना कारित करने के संबंध में साक्षी के द्वारा किया गया कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं होता है।

10. आवेदक के द्वारा इस संबंध में किए गए कथन का समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भी होता है, जो कि दुर्घटना के पश्चात् घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में प्र.पी. 1 के अनुसार दर्ज कराई गई है जिसमें कि स्पष्ट रूप से कार के नम्बर का उल्लेख आया है। घटना के संबंध में अपराध विवरण फार्म प्र.पी. 2 जिसमें कि घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया है से भी स्पष्ट है कि उक्त दुर्घटना कार चालक के द्वारा रोंग साइड में अपने वाहन को ले जाकर कारित की गई। उक्त वाहन कार की जप्ती घटना के पश्चात् उसी दिन दिनांक 26.02.2013 को पाना पुल के पास एक्सीडेंट होने के सीन से जप्त की गई है, जैसा कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 3 से स्पष्ट होता है। उक्त कार के रजिस्ट्रेशन, बीमा तथा

चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जप्ती जप्ती पत्रक प्र.पी. 4 के अनुसार की गई है और कार के चालक की गिरफ्तारी प्र.पी. 5 के अनुसार की गई है। आहत उमेश प्रजापति को दुर्घटना के पश्चात् बिरला हॉस्पिटल इलाज हेतु ले जाया गया है, जहाँ कि उसकी एम.एल.सी. हुई थी, एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसमें कि उसे चोटें आना और अस्थिभंग होने का उल्लेख है। जप्तशुदा कार की मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 7 है। उक्त वाहन को अनावेदिका क्रमांक 1 के द्वारा सुपुर्दगी पर लिया गया है जो कि सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 8 है। प्रकरण में पुलिस के द्वारा विवेचना उपरांत अनावेदक क्रमांक 3 वाहन चालक के विरुद्ध अभियोगपत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भा0दं0वि0 का न्यायालय में पेश किया गया है जो प्र.पी. 9 है। इस प्रकार आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज दुर्घटना घटित होने जो कि अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व का है को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करना एवं उक्त दुर्घटना में आवेदक को चोटें आने का तथ्य प्रमाणित होता है।

11. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिन्दु पर साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जहाँ तक कि प्रश्नाधीन वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 3 जो कि इस बिन्दु पर सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकता था उसके भी कथन अनावेदक पक्ष के द्वारा नहीं कराए गए हैं। ऐसी दशा में इस बिन्दु पर आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य किसी प्रकार से प्रतिखण्डित होनी नहीं पाई जाती है।

12. अनावेदक पक्ष के द्वारा मोटरसाइकिल चालक के पास दुर्घटना के समय लाइसेंस न होने एवं मोटरसाइकिल ओवर लोडिंग होने तथा अन्य आधारों पर मोटरसाइकिल चालक के द्वारा दुर्घटना कारित करने में योगदाई अपेक्षा का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान आवेदक प्रश्नाधीन मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था। ऐसी दशा में दुर्घटना कारित करने में उसकी कोई योगदाई अपेक्षा नहीं मानी जा सकती है।

13. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि दिनांक 26.02.2013 को अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन क्रमांक एम.पी. 07 सी.बी. 4464 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई जिसमें कि आवेदक को चोटें आकर गंभीर उपहति कारित हुई। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2:-

14. आवेदक उमेश प्रजापति आ0सा0 1 के अनुसार दुर्घटना में उसके दोनों पैर व दोनों हाथों में फ्रेक्चर होने से ऑपरेशन कर रॉड डाली गई थी और वह बिरला हॉस्पिटल

ग्वालियर में दिनांक 26.02.2013 से 11.03.2013 तक भर्ती रहा है। इलाज के संबंध में बिल व पर्चे प्र.पी. 10 लगायत 92 आवेदक के द्वारा पेश किए गए हैं तथा निशक्तता प्रमाणपत्र प्र.पी. 93 भी आवेदक की ओर से पेश किया गया है। बिरला अस्पताल में इलाज होने के संबंध में आवेदक की ओर से इलाज से संबंधित केश सीट पेश की गई है जो कि प्र.पी. 96 रिकार्ड कीपर रविप्रताप आ0सा0 3 के द्वारा पेश की गई है।

15. आवेदक को दुर्घटना में आई हुई चोटों के कारण स्थाई अशक्तता के संबंध में आवेदक के द्वारा डॉक्टर ए.के. अग्रवाल आवेदक साक्षी क्रमांक 2 जो कि जिला चिकित्सालय बिकलांग बोर्ड के सदस्य हैं के कथन कराए हैं। जिनके द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया गया है कि जिला चिकित्सालय बोर्ड के समक्ष आवेदक बिकलांगता प्रमाणपत्र हेतु आया था। उसके दोनों फीमर हड्डी में ऑप्रेटिड फ्रैक्चर था और दाएं तरफ की टीबिया फिबूला हड्डी में भी ऑप्रेटिड फ्रैक्चर था जिसके अनुसार उसके निशक्तता का प्रतिशत 50% था जो कि प्रमाणपत्र प्र.पी. 93 पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

16. प्रतिपरीक्षण में यद्यपि उक्त साक्षी यह बताया है कि उनके द्वारा आवेदक का कभी भी इलाज नहीं किया गया है, किन्तु उक्त स्थाई निशक्तता प्रमाणपत्र जो कि बिकलांगता बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, मात्र इस आधार पर कि उनके द्वारा आवेदक का कोई इलाज नहीं किया गया है अथवा कोई वैज्ञानिक परीक्षण बिकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने के पहले नहीं किया गया है तो इस आधार पर उनके कथन को अविश्वसनीय मानने अथवा उसे नकारने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि आवेदक की चोट और फ्रैक्चर का उचित रूप से इलाज होने पर वह ठीक हो सकता है।

17. इस प्रकार जहाँ तक आहत उमेश प्रजापति को स्थाई अशक्तता आने का प्रश्न है, इस संबंध में उसके ऑप्रेटिड फ्रैक्चर दोनों फीमर में तथा दाईं टीबिया व फिबूला में होने के आधार पर उसे निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है, किन्तु इस संबंध में जैसा कि चिकित्सक के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि आहत को आई चोटें व फ्रैक्चर जो कि उचित इलाज होने पर ठीक हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि उक्त चोटें इलाज से ठीक हो सकती हैं। उक्त चोटों को स्थाई अशक्तता की श्रेणी में होना नहीं माना जा सकता है। मात्र उसके निशक्तता प्रमाणपत्र प्र.पी. 93 के आधार पर उसे स्थाई अशक्तता आनी प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। तदनुसार बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3:-

18. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी पर

है। उसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को उपरोक्त वाहन चालक अनावेदक क्रमांक 3 के पास उक्त वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यह भी आधार लिया गया है कि वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत व्यवसायिक यात्री ढोने के लिए किया जा रहा था।

19. अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी के द्वारा वाहन का व्यवसायिक रूप में उपयोग करने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जहाँ तक वाहन चालक के पास दुर्घटना के समय वैध एवं प्रभावी लाइसेंस न होने का प्रश्न है, इस बिन्दु पर भी बीमा कम्पनी के द्वारा बीमा कम्पनी के अधिकारी रविन्द्र कुमार अना0सा0 1 के कथन कराए हैं जिन्होंने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि प्रश्नाधीन वाहन घटना दिनांक को उनकी कम्पनी में बीमित था। उक्त वाहन के चालक के पास उपरोक्त वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वाहन के चालक बाबूराम मिश्रा का आर.टी.ओ. कार्यालय कानपुर से लाइसेंस सत्यापित कराया गया तो उसके अनुसार कार जो एल.एम.व्ही वाहन है को चलाने का लाइसेंस नहीं था। इस संबंध में पॉलिसी की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 1 एवं आर.टी.ओ. कार्यालय का सत्यापन पर्टीकुलर प्र.डी. 2 का पेश किया गया है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उक्त वाहन का बीमा वैध था और यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने आर.टी.ओ कार्यालय में इन्क्वारी नहीं की थी।

20. अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी की ओर से आर.टी.ओ. कार्यालय कानपुर के वरिष्ठ सहायक गोविंदसिंह अ0सा0 3 के कथन लाइसेंस के संबंध में कराये गए हैं, उन्होंने अपने कथन में बताया है कि ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक बी. 1306/के.पी./87 बाबूराम मिश्रा के नाम दिनांक 03.08.1980 को जारी किया गया था जो कि हेवी गुड्स व्हीकल के लिए जारी किया गया था और दिनांक 16.07.1986 को उसमें पृष्ठांकित हेवी पैसेजर व्हीकल के लिए किया गया है जो कि बाद में दिनांक 30.09.2013 से 04.10.2016 तक के लिए रिनू किया गया है। उक्त ड्राइविंग लाइसेंस में एल.एम.व्ही वाहन चलाने का कोई पृष्ठांकन नहीं है। प्र.डी. 2 का पर्टीकुलर उनके द्वारा मूल रिकार्ड कम्प्यूटर से मूल्यांकन कर लिया गया जो कि उनके कार्यालय से जारी है जिस पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताया है कि जिस वाहन को चलाने के लिए कोई लाइसेंस मांगता है उसी का लाइसेंस जारी किया जाता है और इस बात को गलत बताया है कि अनावेदक क्रमांक 3 बाबूराम के द्वारा एल.एम.व्ही. लाइसेंस की मांग की गई थी और इस बात को स्वीकार किया है कि प्र.डी. 2 में कहीं भी लर्निंग एवं एल.एम.व्ही. लाइसेंस जारी करने का उल्लेख नहीं है और इस बात से

इन्कार किया है कि उसमें इसलिए उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उनके कार्यालय से एल.एम.व्ही. ड्राइविंग जारी किया गया था।

21. इस प्रकार प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य जो कि जप्तशुदा वाहन के घटना के समय चालक अनावेदक क्रमांक 3 के ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन उपरांत और इस बिन्दु पर आर.टी.ओ. अधिकारी के कथन के परिप्रेक्ष्य में घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 के पास जो लाइसेंस था वह हेवी गुड्स व्हीकल एवं हेवी पैसेंजर व्हीकल का था। वर्तमान दुर्घटना फीगो कार से होनी बताई गई जो कि एल.एम.व्ही. की श्रेणी में आता है। एल.एम.व्ही वाहन को चलाने हेतु कोई भी वैध एवं प्रभावी लाइसेंस घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 के पास मौजूद होना नहीं पाया जाता है जो कि अनावेदक क्रमांक बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से प्रमाणित है।

22. इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने तर्क में व्यक्त किया गया है कि चूंकि दुर्घटना के समय चालक के पास लाइट मोटर व्हीकल चलाने के लिए कोई भी वैध एवं प्रभावी लाइसेंस नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इस बिन्दु पर बीमा कम्पनी के द्वारा 2008(2) ए.सी.सी.डी. 845(एस.सी.) ऑरिएन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड वि0 जहारूलनिशा बगैरह, 2004(1) दु0मु0प्र0 85 (राजस्थान) काजी अता मोहम्मद बगै0 वि0 सैय्यदफजल अली पेश किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह अविधारित किया गया है कि जिस श्रेणी का मोटरयान चलाया जा रहा है उस श्रेणी के वाहन को चलाने हेतु यदि लाइसेंस नहीं है अथवा उसमें पृष्ठांकन नहीं है तो वह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

23. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में यद्यपि अनावेदक क्रमांक 3 के पास हेवी वाहन चलाने का लाइसेंस मौजूद था, किन्तु दुर्घटना के समय वह कार जो कि एल.एम.व्ही. वाहनों की श्रेणी में आता है को चला रहा था। निश्चित तौर से जिस श्रेणी के वाहन को चलाने हेतु उसके पास जो लाइसेंस मौजूद था उस श्रेणी का वाहन न चलाकर दूसरी श्रेणी का वाहन चला रहा था, जिस हेतु उसके पास कोई भी लाइसेंस अथवा लाइसेंस में पृष्ठांकन नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना पाया जाता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है। इस प्रकार बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी का उत्तर दायित्व नहीं रहेगा।

बिन्दु क्रमांक 4 :-

24. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा

अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के प्रश्नाधीन वाहन फीगो कार को उतावलेपन व उपेक्षा पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की गई। उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आवेदक को चोटें आकर गंभीर उपहति कारित हुई है। ऐसी दशा में आवेदक मोटरयान दुर्घटना के फलस्वरूप आई हुई क्षति एवं उपहतियों के संबंध में क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

25. आवेदक को दुर्घटना के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली राशि का जहाँ तक प्रश्न है, आवेदक के द्वारा उसके इलाज के संबंध में बिल व पर्चे व अस्पताल में इलाज की केश सीट पेश की गई है जो कि आवेदक ने अपने शपथपत्र पर साक्ष्य कथन में प्र.पी. 10 लगायत 92 तक के बिल व पर्चे पेश करना बताया है। इलाज के संबंध में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त बिलों का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बी.आई.एम.आर. हॉस्पिटल ग्वालियर का फाइनल बिल 55470/- रूपए जो प्र.पी. 10 का पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा बीच में जो अन्य बिल पेश किया है, उनमें प्र.पी. 14, 17, 18, 21, 42 के बिल एडवांस बिल है जिनका कि समायोजन फाइनल बिल में किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अन्य बिल प्र.पी. 11, 15 लगायत 20, प्र.पी. 23, 24, 26, 65, 66, 67, 68 के बिल उमेश शर्मा के नाम से है। इस संबंध में बिल काटने हुई कोई त्रुटि या भूल के संबंध में संबंधित हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी आदि के कथन नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में उमेश शर्मा के नाम से जारी बिलों की राशि का भुगतान किया जाना उचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि प्र.पी. 94, 95 के बिल भी उसके द्वारा पेश किए हैं, किन्तु उक्त बिलों का उल्लेख कहीं भी उसके साक्ष्य कथन में नहीं है। प्र. पी. 94 के बिल के संबंध में बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उक्त बिल में उमेश प्रजापति का नाम बाद में लिखवाया गया है, जबकि उनको दी गई कॉपी में कहीं भी उमेश प्रजापति के नाम का उल्लेख नहीं है जो कि इस संबंध में उनको दी गई कॉपी उन्होंने अवलोकन हेतु पेश की गई है, जिसमें स्पष्ट है कि कहीं भी उक्त कॉपी पर उमेश प्रजापति के नाम का उल्लेख नहीं है। ऐसी दशा में उक्त बिल आवेदक का होना नहीं माना जा सकता है और उसकी राशि आवेदक को प्रदान नहीं की जा सकती है। प्र.पी. 95 के बिल का जहाँ तक प्रश्न है, यद्यपि मुख्य परीक्षण में उक्त बिल का उल्लेख नहीं आया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने प्र.पी. 95 के बिल के संबंध में उसे फर्जी रूप से जारी करने के बारे में स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछे गए हैं। उक्त प्र.पी. 95 अस्पताल से जारी किया गया है ऐसी दशा में उक्त प्र.पी. 95 के बिल की राशि दिलाई जानी उचित होगी। इस प्रकार उपरोक्त पेश किए गए सभी बिलों की कुल राशि 84,990/-रूपए होती है जो कि राउण्ड फिगर में 85,000/-रूपए होगी आवेदक को दिलाई जानी उचित होगी।

26. आवेदक के द्वारा दुर्घटना के समय मैकेनिक के रूप में काम करना जिससे प्रति माह दस हजार रुपए आय अर्जित करना बताया है, किन्तु मैकेनिक के रूप में कार्य करने और दस हजार रुपए की राशि अर्जित करने के संबंध में कोई भी प्रमाण आदि उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे कि उसे मैकेनिक के रूप में काम करना और उक्त आय अर्जित करने की पुष्टि होती है। यद्यपि आवेदक की कोई निश्चित आमंदनी प्रमाणित नहीं है, किन्तु आवेदक जो कि 25 वर्षीय नवयुवक है, निश्चित तौर से वह काम, मजदूरी आदि कर 3000/- रुपए प्रति माह आमंदनी अर्जित कर सकता था, ऐसा माना जा सकता है।

27. आवेदक को दुर्घटना में स्थाई अशक्तता आनी प्रमाणित नहीं है, किन्तु उसके पैर में फ्रेक्चर होकर उसका इलाज चलना प्रमाणित है। निश्चित तौर से चोटों के कारण वह 6 महीनों तक कोई भी काम सामान्य रूप से नहीं कर पाया होगा ऐसा माना जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में आमंदनी के नुकसान के मद में आवेदक को 18,000/- रुपए दिलाया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक को इलाज के दौरान आने लाने में व्यय हुआ होगा एवं इस हेतु अटेंडर भी रखना पडा होगा तथा पोष्टिक आहार का भी सेवन करना पडा होगा। उक्त मदों में आवेदक को क्रमशः 8000/-रु., 5000/-रु., 5000/- रुपए की राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाई जानी उचित होगी। इसके अतिरिक्त उसे चोटों के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट का भी सामना करना पडा होगा। उक्त मद में आवेदक को 9000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा।

28. उपरोक्त प्रतिकर की राशि के भुगतान का जहाँ तक प्रश्न है। यद्यपि प्रश्नाधीन वाहन चालक के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी में नहीं था जिस श्रेणी का वह वाहन चला रहा था। इस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लेखन होना पाया गया है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि चालक के पास लाइसेंस हेवी व्हीकल का मौजूद था और घटना के समय वह कार चला रहा था, इस बिन्दु पर आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि बीमा कम्पनी से प्रतिकर की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाना उचित होगा। इस बिन्दु पर आवेदक के द्वारा 2004 ए.सी.जे. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड वि0 स्वर्णसिंह बगैरह, 2014 ए.सी.जे. 242 हक्का बगैर वि0 पप्पू बगैरह पेश किया गया है।

29. उपरोक्त संबंध में अनावेदक कमांक 2 बीमा कम्पनी अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में यह व्यक्त किया है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लेखन होना प्रमाणित हुआ है, एसी दशा में बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी का आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस बिन्दु पर उन्होंने मिसलेनियस अपील क. 2194/13 करनसिंह वि0 ओमप्रकाश, 2011 प्रथम ए.सी.सी.डी. रामजीलाल वि0 पदमचन्द्र, 2015 प्रथम ए.सी.सी.डी. 446 नेशनल इंश्योरेंस

कम्पनी मि. वि० वतुल, 2009(8) एस.सी. स्केल 785 नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बि० परवथनी पेश किए गये हैं।

30. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं है कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद भी न हो अथवा ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हो, बल्कि प्रकरण में केवल यह है कि उसके चालक के पास हेवी गुड्स एवं हेवी पैसेंजर का लाइसेंस मौजूद है। घटना दिनांक को वह लाइट मोटर व्हीकल चला रहा था। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **स्वर्णसिंह बगैरह** में दिए गए दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जो कि बाद में **जहारूलनिशा** के प्रकरण में व अन्य प्रकरणों में भी तथा माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त वर्णित **हक्का बगैरह** के प्रकरणा में भुगतान एवं बसूलने (Pay & Recover) होने के संबंध में अभिधारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों परिस्थितियों में बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 2 उक्त प्रतिकर की राशि आवेदक को अदा कर अनावेदक क्रमांक 1 व 3 से उसे नियमानुसार बसूल कर पाने का अधिकार रहेगा।

31. तदनुसार आवेदक क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 85,000 + 18,000 + 8000 + 5000 + 5000 + 9000 = 1,30,000/- रूपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। उक्त राशि आवेदक को अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी भुगतान कर उसे अनावेदक क्रमांक 1 व 3 से बसूल करने का अधिकार होगा। उक्त राशि पर आवेदक दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज पाने का अधिकारी होगा। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 05:-

32. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आलोक में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रतिकर अदायगी बावत् आवेदनपत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदक अनावेदक 1 व 3 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्रतिकर के रूप में 1,30,000/- रूपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. आवेदक उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।
3. उक्त राशि आवेदक को अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कम्पनी अदा करेगी तथा अदा करने के पश्चात् अनावेदक क्रमांक 1 व 3 से बसूल करने की अधिकारी रहेगी।

4. उपरोक्त प्रतिकर की राशि जमा होने पर उसका 30 प्रतिशत भाग सात वर्ष की अवधि के लिए एवं 30 प्रतिशत भाग पांच वर्ष की किसी राष्ट्रीकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किए जाए। शेष राशि बचत बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
4. अभिभाषक शुल्क 1000/- रूपए निर्धारित की जाती है।
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि०
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अति०मोटर दुघर्टना दावा अधि०
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)